



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265889  
CG-DL-E-02092025-265889

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3903]  
No. 3903]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

का.आ. 4008(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात “आयकर अधिनियम” के रूप में संदर्भित है) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा “लखनऊ विकास प्राधिकरण” (पैन AAALL0016F) (इसमें इसके पश्चात “निर्धारिती” के रूप में संदर्भित है) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम 1973 का 11) द्वारा गठित प्राधिकरण बना रहेगा।

[अधिसूचना सं. 142 /2025/फा. सं. 300195/16/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2025

**S.O. 4008(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies the “Lucknow Development Authority” (PAN AAALL0016F) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act 11 of 1973), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-25, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President’s Act 11 of 1973) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 142 /2025/F. No. 300195/16/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.